फर्द अहकाम

बनाम

नाम न्यायालय

केस संख्या

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से		विशेष विवरण
	3/5/23	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील प्रार्थी को स्थगन बहस पर गौर किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया तो अप्रार्थीगण के विरुद्ध Reg. तामील के बावजूद भी हाजिर नहीं होने से एकपक्षीय कार्यवाही की जा चुकी है। दावा वादी घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का है। जिसके निस्तारण तक अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित समझते हैं ताकि वो वादग्रस्त भूमि को किसी भी प्रकार से खुर्द-बुर्द न कर सके। क्योंकि अप्रार्थीगण द्वारा बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहकर अपने हितों की पैरवी नहीं करने के कारण प्रथम दृष्टया केस सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति प्रार्थी के पक्ष में भली-प्रकार से साबित होने से अप्रार्थीगण को पाबंद किया जाना उचित समझते हैं। अप्रार्थीगण को पाबंद करने से उनको किसी प्रकार की क्षति नहीं होगी। जबकि पाबंद नहीं करने से प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी जिसकी भरपाई किया जाना संभव नहीं होगा। अतः अप्रार्थीगण को ताफैसलावाद अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया ~~जाकर~~ जाता है कि वादग्रस्त भूमि वाके ग्राम तीतरिया के ख.न. 1065 रकबा 35 बीघा 08 बिस्वा में से 9 बीघा 8 बिस्वा अर्थात 2.37 हे. भूमि का राजस्व रिकार्ड के ख.न. 3378 से 3381, 3410 से 3435 कुल किता 29 रकबा 5.02 हे. में से 9 बीघा 8 बिस्वा = 2.37 हे. भूमि का राजस्व रिकार्ड व मौके की स्थिति बजाए रखे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।		

खण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

Scanned with CamS